हिन्दी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के प्रयुक्ति का प्रश्न

अंजलि अस्थाना
प्रवक्ता, हिन्दी विभाग
बी0 एस0 एन0 वी0 पी0 जी0 कॉलेज, लखनऊ–226001, उ0प्र0, भारत
anjali.asthana73@gmail.com

वैज्ञानिक उन्नति किसी भी राष्ट्र की उन्नति का आधार है। यह वह आधार है जो हमें साधन–सम्पन्न बनाकर अधिक सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास करता है; परन्तु यह उन्नति अपने संपूर्ण अर्थों में सार्थक तभी होती है जब वह अपनी राष्ट्रीय भाषा में सर्वसुलभ हो पाती है।

उक्त संदर्भ को जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो पाते हैं कि आजादी के बाद से ही लगभग 'हिन्दी भाषा' को आधार बनाकर विज्ञान के प्रयोग की बात बड़े जोर–शोर से उठाई जाती रही है, जो निःसंदेह एक आवश्यक मुद्दा है; परन्तु यहाँ मूलभूत मुद्दा पहले यह है कि आज आजादी के इतने वर्षों के उपरान्त भी हम भारतीय पूरे गर्व के साथ यह नहीं कह पाये कि हिन्दी हमारी 'राष्ट्रभाषा' है। भारत के संघीय ढांचे में हिन्दी आज भी 'राजभाषा' ही है। यही कारण है कि बहुत सारे संदर्भों में–विशेषकर विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में, हिन्दी के प्रयोग की बात सफल नहीं हो पाती।

चूंकि भारत लम्बे समय तक परतंत्र रहा। जब विश्व में सभी जगह वैज्ञानिक उन्नति हो रही थी, उस समय भारत अंग्रजों के आधीन था। इस काल में संपूर्ण शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बन जाने से भारतीयों का धीरे–धीरे अपनी प्राचीन संस्कृति एवं सबसे समृद्ध भाषा संस्कृत से संबंध लगभग टूटता गया। हमारे देश की यह बहुत बड़ी विडम्बना रही है कि स्वतंत्रता से पूर्व सारे भारतीय, शिक्षाविद, सारे समाजशास्त्री और सारे राजनीतिज्ञ इस मत में थे कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाकर उसी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाये। सभी ने यही कहा कि देश में शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो। जाहिर था कि वैज्ञानिक विषयों का भी हिन्दी में अनुवाद किया जाना था। परिणामस्वरूप व्यापक स्तर पर पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया चालू हो गयी, परन्तु आजादी के बाद राजनीति के साथ धीरे–ध ीरे सारा परिवेश ही बदलता चला गया।

आज हम जिस 'शाषिक संस्कृति' के दौर से गुजर रहे हैं वहाँ जितना बड़ा प्रश्न 'राष्ट्रभाषा' और उसके 'अस्तित्व' को लेकर है कमोवेश उतनी ही बड़ी समस्या हिन्दी में वैज्ञानिक शब्दावली के प्रयुक्ति की है।

इस संदर्भ में डॉ0 शिवगोपाल मिश्र जी कहते हैं कि–''1900 के पूर्व बहुत कम वैज्ञानिक साहित्य रचा गया। जो कुछ रचा भी गया वह नितान्त व्यक्तिगत अभिरुचि पर आश्रित था। सर्वप्रथम गुरुकुल काँगड़ी से वैज्ञानिक शिक्षण का हिन्दीकरण प्रारम्भ हुआ तो वहीं के शिक्षकों ने कतिपय विषयों में, विशेष रूप से रसायन, भौतिकी तथा वनस्पतिशास्त्र पर पाठ्यपुस्तकें लिखीं। 1913 ई0 में प्रयाग में विज्ञान परिषद की स्थापना हो जाने पर साहित्य के सृजन में प्रगति आयी और स्वतंत्रता के पूर्व इतना वैज्ञानिक साहित्य प्रणीत हो चुका था कि स्कूल–कॉलेजों में विज्ञान की पढ़ाई हिन्दी के माध्यम से हो सके। बस एक ही व्यवधान या कठिनाई थी कि पारिभाषिक शब्दावली में एकरूपता नहीं आ पायी थी, जिससे अध्यापकों, लेखकों, पाठकों और विद्यार्थियों के समक्ष असमंजस की स्थिति थी।''[1] वस्तुतः विज्ञान का जब हम हिन्दी भाषा में अनुवाद करने बैठते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली को हिन्दी में अनुवादित करने को लेकर उठता है। इस संदर्भ में प्रारंभ से ही दो मत हमारे सामने आते रहे हैं– एक यह कि वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली को ज्यों का त्यों लिप्यंतरण करके स्वीकार कर लिया जाये। तथा दूसरा यह कि वैज्ञानिक शब्दों के निर्माण के लिए नवीन शब्दों को गढ़ा जाय।

ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने के पीछे तर्क यह है कि देश–विदेशों में अनेक पदार्थ पाश्चात्य देशों के नाम पर बिकते हैं। जैसे–मशीनें, दवाएं, रसायनिक वस्तुएं आदि, दूसरा यह कि ये शब्द समस्त भारतीय भाषाओं में एक समान व्यवहार किये जा सकते हैं। इसके साथ

ही इनमें से अनेक शब्द पाश्चात्य देशों में भी एक समान प्रचलित होते हैं। इसलिए यह कहा गया कि जो शब्द रोजमर्रा की बोलचाल में आ गये हैं, चाहे वे कहीं से भी आये हों उन्हें वैसा ही व्यवहार में लाना उचित है। परन्तु यहाँ पर यह देखना होगा कि भाषा की प्रकृति मौखिक होती है और शब्दों का उच्चारण देश की जलवायु, प्रकृति की अवस्था, मनुष्य का उच्चारण अवयव, उसकी मानसिक समझ, बलाघात आदि पर निर्भर करता है। इसके साथ ही स्वरों और व्यजनों के उच्चारण के लिए कोई एक विश्वव्यापी व्याकरणिक नियम नहीं है। इसलिए एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा में आने पर भिन्न हो सकता है।

इसी आधार पर यह कहा गया कि जिन वैज्ञानिक भावों को प्रकट करने के लिए हमारे यहाँ कोई संकेत चिह्न नहीं हैं उनके लिए नये शब्द गढ़ने की आवश्यकता है। परन्तु यहाँ ध्यान रखना होगा कि वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों का निर्माण राष्ट्रीय दृष्टि से होना चाहिए। इसके लिए समस्त भारतीय भाषाओं को आधार बनाया जा सकता है। ''पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के संदर्भ में डॉ0 रघुवीर सहाय का नाम विशेष महत्व रखता है। उन्होंने 'काम्प्रिहैन्सिव इग्लिश हिन्दी डिक्शनरी' के नाम से एक कोश ग्रन्थ की रचना की। इस कोश ग्रन्थ के निर्माण के लिए उन्होंने जिस वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया वे भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के संदर्भ में 13 सिद्धान्तों के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रमुख हैं–

1–प्रत्येक मुख्य अर्थ के लिए एक प्रथक शब्द होना चाहिए। जैसे–

'Power' के लिए 'शक्ति', 'force' के लिए 'बल' और 'energy' के लिए 'उर्जा'।

2–यूरोपीय असमस्त पदों का अनुवाद असमस्त पदों से किया जाय। अर्थात् शब्द व्याख्यात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे– 'Signal' के लिए 'संकेत' होना चाहिए न कि 'signal' की व्याख्या करने वाला–'अग्निरथगमनागमनसूचक लौह पटिट्का'।

3–उपसर्गों का अनुवाद उपसर्गों से और प्रत्ययों का अनुवाद प्रत्ययों से होना चाहिए।

4–विदेशी शब्दों के एक रूप से बने विभिन्न रूप एक ही शब्द से व्यूत्पादित किये जायें। जैसे–

Law – विधि, Lawful –विधिवत, Legal –वैध, Illegal –अवैध, Lawless –विधिहीन

Lawlessness –विधिहीनता

5–प्रत्येक शब्द का व्याकरण व अर्थ सम्बन्धी समस्त या असमस्त सभी पदों का संग्रह करके की अनुवाद किया जाये। जैसे–

व्याकरण सम्बन्धी–

Acid –अम्ल, Acidic –अम्लिक, Acidiant –अम्लकर, Acidification –अम्लन, Acidifier –अम्लक

तथा अर्थ सम्बन्धी में–

Right –अधिकार, Authority–प्राधिकार, Prerogative –परमाधिकार, Privilege –विशेषाधिकार

Monopoly –एकाधिकार

6–वास्तविक शब्दों के संक्षिप्तीकरण के साथ नये विचारों के लिए नये प्रत्ययों का निर्माण करना चाहिए। अंग्रेजी में रसायन सम्बन्धी धातुवाची शब्दों के द्योतन के लिए 'um' प्रत्यय प्रयुक्त होता है। इनके लिए भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में 'धातु' प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे–

Alumin –स्फटी, Alumin+um –स्फटी + धातु = स्फट्यातु

7–प्रान्तीय भाषाओं में उपलब्ध शब्द यदि पूर्वोक्त नियमों के आधार पर अधिक उपयुक्त जँचे तो हिन्दी की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।''[2]

इस प्रकार हम देखें तो पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण और उसके मानकीकरण के लिए सरकार तथा अन्य हिन्दी प्रेमी संस्थाओं के द्वारा अनेक प्रयास किये गये और निरन्तर किये जा रहे हैं, परन्तु इन सभी प्रयासों के बावजूद भी इन पारिभाषिक शब्दावली के प्रयुक्ति की समस्या यथावत बनी हुई है। आज का पढ़ा–लिखा बौद्धिक मानस 'लिप्यन्तरण' की बात तो स्वीकार रहा है, किन्तु अनुवादित शब्दावली के प्रयोग की बात उसके लिए एक कठिन समस्या बन जाती है। यहीं पर लिप्यंतरण को लेकर उठाया गया यह प्रश्न भी चिंतनीय है कि लिप्यंतरण किये गये अनेकानेक शब्द जो हिन्दी भाषा में शामिल होते जा रहे हैं क्या उनकी कोई सीमा निर्धारित होगी? यदि हाँ तो कहाँ तक? यदि नहीं तो यह प्रयोग आगे चलकर 'राष्ट्रभाषा' की 'अस्मिता' को कितना सुरक्षित रख पायेगा?

इस संदर्भ में माधव सोनटक्के का कहना एकदम सही है कि–''आजादी प्रजातंत्र आदि के बावजूद हम अंग्रेजी तथा अंग्रेजी की मानसिक दासता और बौद्धिक पराधीनता को ढ़ोने में गौरव का अनुभव करते हैं। एक ओर पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण, उनका प्रयोग कर ज्ञान विज्ञान के ग्रन्थों के निर्माण में अपरमित धन फूँका जा रहा है, तो दूसरी ओर विज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा तकनीकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना हुआ है। चाहे केन्द्रीय हो या प्रान्तीय, सभी तरह के कार्यालयों तथा संसद, विधान भवन का लगभग संपूर्ण व्यवहार अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होता रहा है। पारिभाषिक शब्दावली का मातृ निर्माण करना तथा कोशों के प्रकाशन से इस कार्य की सिद्धि नहीं होती, उसकी सार्थकता प्रयोग में होती है। हमारी विडम्बना यह है कि हम शब्दों का निर्माण तो कर रहे हैं, किन्तु प्रयोग नहीं के बराबर हो रहा है।''[3]

वस्तुतः किसी भी देश पर बाहरी स्थितियाँ कितना प्रभाव डालती हैं यह उस देश की आन्तरिक स्थिति पर निर्भर करता है। भारत स्वतंत्रता के पूर्व से ही जिस भाषाई विवाद में उलझा हुआ है उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। हाल ही में दिनांक 20 जून 2014 को सरकार की ओर से जब हिन्दी में काम करने के निर्देश दिये गये कि– ''ग्रह मंत्रालय से जुड़े सभी विभाग अब अपने सभी काम हिन्दी में करेंगे। सबसे ज्यादा हिन्दी में काम करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।'' तो फिर से अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में इसका विरोध शुरू हो गया और यह कहा गया कि ''संवाद की भाषा अंग्रेजी हो।''[4]

यहाँ पर गम्भीरता पूर्वक भारतीय जनता को यह सोचना होगा कि यदि हम हिन्दी को 'राष्ट्रभाषा' नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाय?

गोवा से चन्द्रकांत केणी का कथन इस संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है कि–''भाषा का प्रश्न कहीं अस्मिता से जुड़ा है। इस महादेश की पहचान कभी भी अंग्रेजी या अंग्रेजियत से नहीं होगी। सभी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर, हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा का ही नहीं, विश्व की अग्रणी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाएँ–तभी विश्व के मंच पर हमारी अपनी पहचान बनेगी। हिन्दी नहीं पनपेगी तो शेष भारतीय भाषाएँ भी स्वतः निष्प्राण हो जाएंगी।''[5]

अर्थात इस संपूर्ण विवेचन का आशय यह है कि यदि हम सचमुच चाहते हैं कि ''तकनीकी साहित्य'' हिन्दी भाषा में सर्वसुलभ हो, और गर्व के साथ उसका प्रयोग हो तो इसके लिए पहले हमारे प्रबुद्ध वर्ग को 'राष्ट्रभाषा' के इस प्रश्न को सुलझाना होगा। दृढ़ इच्छाशक्ति और राष्ट्रीय भावना के साथ हिन्दी भाषा के प्रयोग के लिए अग्रसर होना होगा।

इसी दृढ़ इच्छाशक्ति और राष्ट्रीय भावना को लेकर बी0 एस0 एन0 वी0 पी0 जी0 कॉलेज, लखनऊ, द्वारा प्रकाशित वार्षिक शोध पत्रिका "**अनुसंधान (विज्ञान शोध पत्रिका)**" एक मील का पत्थर साबित हो रही है।

संदर्भ

1. मिश्र, शिवगोपाल (1986) "हिन्दी में विज्ञान लेखनः कुछ समस्याएं", प्रकाशक–हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्र0 2।
2. राव, माधव सोनटके (2011) "प्रयोजनमूलक हिन्दी", लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, मु0प्र0 33–34।
3. राव, डॉ0 माधव सोनटके (2011) "प्रयोजनमूलक हिन्दी", लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, मु0प्र0 73।
4. हिन्दुस्तान (दैनिक) :– दि0–जून–20, 21, 2014, प्र0 16, 20।
5. द्विवेदी, मुकुन्द (2001) "भारतीय भाषाएं और राष्ट्रीय अस्मिता", प्रकाशक–हिन्दी अकादमी, दिल्ली, प्र0 25।